P.F. के फायदे

1. कर्मचारियों का जितना पैसा वेतन से कटता है, उतना पैसा कम्पनी भी उस कर्मचारी के P.F. खाते में जमा करती है।
2. P.F. की जमा राशी पर हर महीने 8.5% ब्याज जोडा जाता है।
3. खर्मचारी का पैसा भरने के पहेले उसके नाम से UAN नम्बर लिया जाता है जो पुरे भारत में एक ही रहता है और कर्मचारी किसी भी कम्पनी से भारत के किसी भी कोने से उसी नम्बर पर P.F. का पैसा जमा करवा सकता है।
4. कर्मचारी ने अगर अपना आधार नम्बर तथा मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करवाया है तो हर महीने जमा होने का मेसेज उनके मोबाईल पर आएगा।
5. कर्मचारी अगर इंटरनेट उपयोग करता है तो अपनी P.F. अकाउंट बनाकर ऑनलाइन अपने P.F. खाते का स्टेटमेंट देख सकता है।
6. कर्मचारी अगर कम्पनी बदलता है तो उसी P.F. नम्बर पर दूसरी कम्पनी में भी पैसा जमा करना जारी रख सकता है उसे दूसरा P.F. नम्बर लेने की आवश्यकता नहीं है।
7. अगर कर्मचारी नौकरी करना बंद कर देता है तो नौकरी छोडने के दो महीने बाद वो अपना पूरा पैसा मालिक के भरे पैसे के साथ निकाल सकता है वह पैसा उसके बेंक खाते में जमा होगा।
8. P.F. मेम्बर बनने के ५ साल बाद नया घर खरीदने, मकान का रिपेयरिंग करवाने या बच्चों की शादी या पढाई के लिए जमा राशी में से पैसा निकाला जा सकता है।
9. P.F. मेम्बर बनने के बाद यदि किसी कर्मचारी की किसी बीमारी से या अकस्मात् मृत्यु हो जाती है तो तात्कालिक उसके वारीस को आजीवन पेंसन मिलना चालू हो जायेगा जो कम से कम 1000/- प्रतिमाह होगी चाहे उसने एक महीने ही P.F. क्यों न भरा हो P.F. अकाउंट जितना पुराना होगा पेंसन की राशी उसके हिसाब से बढती जायेगी।
10. कर्मचारी की मृत्यु होने पर तात्कालिक उसके P.F. की पूरी राशी (ब्याज सहित) का भुगतान किया जायेगा तथा उसके वारीस का पेंसन भी चालु हो जायेगा।
11. अगर किसी दुर्धटना के दौरान कर्मचारी की मृत्यु नहीं होती पर उसका काई अंग कट जाता है या वो काम करने लायक नहीं रहता तो उसकी काम करने की असमर्थता के आधार पर उसका पेंसन चालू हो जायेगा।
12. P.F. में जमा किया पैसा आयकर धारा 80k के तहत कर छुट में आता है मतलब कर्मचारी को अगर आयकर भरना आये तो इस भरे गए पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा और कर्मचारी की आय पुर्णत: कानुनन सही पैसा रहेगा।
13. P.F. डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो रहा है इसलिए कर्मचारी को पहले पैसा निकालने के लिए अपने कम्पनी के अधीकारी का हस्ताक्षर लेना पडता था अब कर्मचारी स्वयं अर्जी डालकर अपने बैंक खाते में पैसा पा सकता है।
14. प्रधानमंत्री श्री मोदीजी ने कर्मचारीयों के लाभ को ध्यान में रखकर P.F. भरना अनिवार्य कर दिया हे अत: प्रत्येक कर्मचारी का P.F. कटेगा और उसमे कम्पनी अपने हिस्से की राशी मिलाकर P.F. ऑफिस में जमा कराएगी।